



2026:AHC:127163

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19755 वर्ष 2026

मुकेश..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : गौरव कुमार शुक्ला

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 46

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. आवेदक के लिए अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-27 वर्ष 2026 में धारा 70(1), 87, 127(2) और 351(3) बी.एन.एस., थाना परसरामपुर, जिला बस्ती के तहत दायर किया गया है, जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. मैंने प्राथमिकी में स्थापित अभियोजन की कहानी और जमानत अस्वीकृति आदेश का भी अवलोकन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने दलील दी है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज लड़की के बयानों में विरोधाभास है। बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में उसने अजीत, मुकेश और काली के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है, जबकि धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान में केवल वर्तमान आवेदक मुकेश के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि सह-आरोपी अजीत और काली प्रसाद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक जमानत आवेदन संख्या-13188 और 15695 वर्ष 2026 में क्रमशः दिनांक 22.04.2026 और 08.05.2026 के आदेशों के माध्यम से जमानत दे दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि चूंकि सह-आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, इसलिए आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर जमानत पाने का हकदार है। आवेदक 25.01.2026 से जेल में है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-अभियुक्त अजीत और काली प्रसाद को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, साथ ही दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों के साथ और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस स्तर पर, प्रथम दृष्टया जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है। हालांकि, उक्त प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण किसी भी तरह से मुकदमे की कार्यवाही में अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

7. जमानत के लिए प्रार्थना स्वीकार की जाती है। आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक मुकेश को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञापत्र दायर करेगा कि जब गवाह अदालत में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त में चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

9. ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त के चूक के मामले में, प्रतिपक्षी इस न्यायालय से जमानत निरस्तीकरण हेतु संपर्क कर सकता है।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

15 जून 2026

कुलदीप